भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2364
दिनांक 13.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शौचालयों में ड्रेनेज कनेक्टिविटी

2364. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में बड़ी संख्या में घरों के शौचालयों में ड्रेनेज कनेक्शन की सुविधा नहीं है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में स्वच्छता संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत मानव मल के निपटान के लिए देश के अधिकांश भागों में सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ऑनसाइट स्वच्छता प्रौद्योगिकियों जैसे ट्विन लीच पिट शौचालयों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 जैसे अपने विभिन्न फ्लैगशिप मिशनों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में सीवरेज अवसंरचना जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए अवसंरचना प्रदान करने में राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रयासों में सहायता करती है। सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र अमृत के तहत घटकों में से एक है। सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र के तहत, 34,504.93 करोड़ रुपये की 890 परियोजनाओं पर जमीनी स्तर पर कार्य शुरू किया गया है, जिनमें से 32,356.24 करोड़ रुपये के कार्य को वास्तविक रूप से निष्पादित किया गया है।

अब तक, लक्षित 145 लाख सीवर/सेप्टेज कनेक्शनों के विरुद्ध 149 लाख सीवर/सेप्टेज कनेक्शन (एफएसएसएम के माध्यम से कवर किए गए परिवारों सहित) अमृत और सामंजस्य के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। सूची अनुबंध-I में दी गई है। अमृत 2.0 के तहत, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र में, अब तक 67,607.67 करोड़ रुपये की 592 परियोजना को अनुबंध-II में जिनमें 154.69 लाख नए/सर्विस सीवर कनेक्शन को कवर किया गया है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसकी सूची अनुबंध-II में दी गई है।

*****

अनुबंध I

दिनांक 13-03-2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2364 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

अमृत के तहत सीवरेज/सेप्टेज के माध्यम से राज्य-वार कवरेज

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	सेप्टेज प्रबंधन के तहत कवर किए गए सीवर कनेक्शन और अमृत और सामंजस्य
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-
2	आंध्र प्रदेश	3,99,916
3	अरुणाचल प्रदेश	16,000
4	असम	-
5	बिहार	-
6	चंडीगढ़	1,76,434
7	छत्तीसगढ़	3,65,217
8	दादरा एवं नगर हवेली	25,464
	दमण व दीव	4,134
9	दिल्ली	21,55,226
10	गोवा	1,982
11	गुजरात	30,84,726
12	हरियाणा	3,85,076
13	हिमाचल प्रदेश	38,920
14	जम्मू एवं कश्मीर	3,32,292
15	झारखंड	33,000
16	कर्नाटक	7,08,638
17	केरल	3,79,976
18	लद्दाख	1,620
19	लक्षद्वीप	-
20	मध्य प्रदेश	4,02,139
21	महाराष्ट्र	4,44,966
22	मणिपुर	4,000
23	मेघालय	31,000
24	मिजोरम	-
25	नागालैंड	30,520
26	ओडिशा	4,14,177
27	पुदुचेरी	15,954
28	पंजाब	1,21,218
29	राजस्थान	6,15,048
30	सिक्किम	17,400
31	तमिलनाडु	25,20,304
32	तेलंगाना	87,570
33	त्रिपुरा	600
34	उत्तर प्रदेश	18,62,868
35	उत्तराखंड	74,914
36	पश्चिम बंगाल	1,84,215
	कुल	**1,49,35,514**

अनुबंध II

दिनांक 13-03-2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2364 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

अमृत 2.0 राज्य-वार प्रस्तावित सीवर कनेक्शन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अमृत 2.0 के तहत अनुमोदित नए/सर्विस्ड कनेक्शन**
आंध्र प्रदेश	6,43,865
असम	4,363
बिहार	9,24,366
चंडीगढ़	3,05,162
छत्तीसगढ़	0
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	16,722
दिल्ली	4,74,209
गोवा	112
गुजरात	9,17,837
हरियाणा	3,45,673
हिमाचल प्रदेश	4,707
जम्मू एवं कश्मीर	93,172
झारखंड	1,58,665
केरल	1,14,377
लद्दाख	8,817
मध्य प्रदेश	27,37,446
महाराष्ट्र	35,68,168
मिजोरम	9,335
नागालैंड	49,477
पुदुचेरी	480
पंजाब	18,23,535
राजस्थान	8,37,118
तमिलनाडु	5,78,838
तेलंगाना	7,65,919
उत्तर प्रदेश	9,22,813
पश्चिम बंगाल	1,64,244
कुल योग	**1,54,69,420**

*****